उत्तरांचल शासन

ऊर्जा विभाग

संख्या 693/नौ –3–ऊ0/2001

देहरादून:दिनांक: 28-9 ,2001

अधिसूचना

चूँकि *उत्तर प्रदेश* पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा –87 के अधीन उत्तरांचल शासन, *उत्तरांचल* राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ,ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूँकि *उत्तर प्रदेश* इलैक्ट्रिसिटी(ड्यूटी)अधिनियम 1952 ,उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा–86 के अधीन *उत्तरांचल* राज्य में लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी(ड्यूटी)अधिनियम 1952 *उत्तरांचल* राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा:–

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी(ड्यूटी) अधिनियम (*उत्तरांचल* अनुकूलन एवं उपान्तरण)

आदेश 2001

1– संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी(ड्यूटी) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश 2001 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2– '*उत्तर प्रदेश*' के स्थान पर '*उत्तरांचल*' पढ़ा जाना:–

उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है,में जहां –जहां शब्द पद '*उत्तर प्रदेश*' आया है,वहां शब्द '*उत्तरांचल*' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3– (1) मूल अधिनियम की धारा–3 के उपधारा(1) (ग) में वर्णित " Provided that such..............................earlier than October 1,1984 को समाप्त समझा जाए।

(2) मूल अधिनियम की धारा–3 के उपधारा–2 के द्वितीय प्रस्तर को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:–

"किन्तु प्रतिबनध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में जहां कि भारित दर उपभोग के यूनिट पर आधारित हो यहां इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम न होगी"।

'तथा'

(3) मूल अधिनियम की धारा–3 की उपधारा –3 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:–

उपधारा–(1)के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम न होगी।

4– मूल अधिनियम की धारा –8 (1) (ग) में अंकित 'दो सौ' के स्थान पर 'दो हजार' पढ़ा जायेगा।

5– मूल अधिनियम की धारा–8 (2) में'एक हजार रूपये 'के स्थान पर 'दो हजार रूपये' पढ़ा जायेगा।

केशव देसिराजु
सचिव

पु0सं0:– /नौ–3–ऊ0/2001,तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।

2– सचिव, केन्द्रीय बिजली बोर्ड, सेवा भवन, आर0के0पुरम, नई दिल्ली ।

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

5– समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल ।

6– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।

7– विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन हल्द्वानी, नैनीताल ।

8– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन, देहरादून ।

9– मुख्य महाप्रबन्धक,उ0प्र0 जल विद्युत निगम , यमुना भवन देहरादून ।

10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(डा0एम0सी0जोशी)
संयुक्त सचिव

29.10.2001